**<u>न्यायालय–नीरज कुमार त्यागी, अवर न्यायाधीश (प्रथम), नरकटियागंज</u>**
**<u>स्वत्व वाद सं0–108/2020</u>**

मो0 इकबाल.....वादी

बनाम

सगीरून नेशा एवं अन्य.....प्रतिवादीगण

| DATE | ORDER | REMARKS |
|---|---|---|
| **15.12.2022** | उभय पक्षों की ओर से पैरवी है। वादी की ओर से एक आवेदन दिनांक 08.04.2021 अंतर्गत आदेश 06 नियम 17 व्यवहार प्रक्रिया संहिता के तहत संशोधन आवेदन दाखिल किया गया है। जो आज दिनांक 15.12.2022 को आदेश हेतु नियत है।<br>**<u>आदेश (ORDER)</u>**<br>वादी का अपने आवेदन में कहना है कि वादी के द्वारा प्रस्तुत वाद अनुसूची 01 की भूमि पर स्वत्व की घोषणा एवं प्रतिवादी सं0–09 के द्वारा निस्पादित विक्रय विलेख को शुन्य, अवैध घोषित कराने हेतु लाया गया है। वाद दाखिल करते समय प्रतिवादी सं0–09 के द्वारा आठ विक्रय विलेख प्रतिवादीगण के पक्ष में किये गये तथा वाद के दाखिल किये जाने की पूरी जानकारी होने के बाद भी दो विक्रय विलेख रूहूसाबा खातुन प्रतिवादी सं0–04 तथा तबसुम जहाँ प्रतिवादी सं0–07 के पक्ष में किये गये। टंकक की गलती से वादपत्र में कुछ संशोधन करना आवश्यक है। संशोधन सामान्य प्रकृति का है। उससे वाद की प्रकृति में कोई परिवर्तन नही होता है। अतः आवेदनानुसार वादपत्र में संशोधन करने की अनुमति देने की कृपा करें।<br>प्रतिवादीगण की ओर से वादी के आवेदन का मौखिक विरोध किया गया तथा आवेदन खारिज योग्य बताया गया।<br>उभय पक्षों के विद्वान अधिवक्ता को सुना गया। अभिलेख का अवलोकन किया। अभिलेख अवलोकन से विदित होता है कि प्रस्तुत वाद अभी प्रारंभिक अवस्था में है। अभी वाद बिन्दु का गठन भी नही हुआ है। आदेश 06 नियम 17 में कोई भी पक्षकार न्यायालय कार्यवाही के किसी भी प्रक्रम पर अपने अभिवचनों को परिवर्तित या संशोधित करने के लिए अनुज्ञाप्त कर सकेगा और वे सभी संशोधन किये जायेगें। जो दोनो पक्षों के बीच विवादग्रस्त वास्तविक प्रश्नों के आवधारण के परियोजन के लिए | |

**न्यायालय–नीरज कुमार त्यागी, अवर न्यायाधीश (प्रथम), नरकटियागंज**
**स्वत्व वाद सं0–108/2020**

| | | |
|---|---|---|
| **लगातार**<br>**15.12.2022** | आवश्यक हो। वादी द्वारा प्रस्तावित संशोधन सामान्य प्रकृति का है। वादी के द्वारा अपने आवेदन के समर्थन में दोनों विक्रय विलेख की छायाप्रति भी दाखिल किया है। अतः ऐसी दशा में न्यायहित में वादी का आवेदन स्वीकृत किया जाता है तथा उनके विद्वान अधिवक्ता को निर्देश दिया जाता है कि वह विधिक समय सीमा के तहत वादपत्र में आवेदनानुसार अपेक्षित संशोधन करें।<br>वाद दिनांक 07.02.2023 को अग्रिम कार्यवाही हेतु नियत।<br>लेखापित<br>अवर न्यायाधीश, प्रथम<br>नरकटियागंज | |